

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास भिवाडी

प्रकरण संख्या 71/12 वर्ष 2013

मै0 शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लेट सैक्टर-49 गुडगावां हरि0 व श्री किशन लाल, निहाल, सुमेर पुत्रान श्री गणपत, सन्दीप कुमार, मनोज कुमार पुत्रान श्री बल्ला, व वेदप्रकाश, रमेश चन्द्र पुत्रान श्री प्रभाती लाल व अनिल कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रान श्री अभय सिंह, श्रीमती रामरती देवी बेवा श्री अभय सिंह, बाबूलाल, बिल्लूराम पुत्रान प्यारे लाल, व छोटे लाल पुत्र श्री फूसा, सज्जन सिंह पुत्र श्री कुडा राम, श्रीमती वजन्ति बेवा श्री बलवन्तसिंह, श्रीमती कमला पत्नि श्री प्रभाति लाल, व लालाराम पुत्र श्री अनुप सिंह, व श्रीमती विद्या देवी पत्नि श्री लाला राम, श्रीमती रामकला पत्नि श्री निहाल सिंह, व श्रीमती कमलेश पत्नि श्री सुमेर सिंह, श्रीमती इतवरी पत्नि श्री किशन लाल, व मामन पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तह0 तिजारा जिला अलवर (राज0) व श्री देवीदयाल पुत्र श्री हुकमचन्द जाति गुर्जर ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा जिला अलवर (राज0) जरिये मु0आम मै0 शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लेट सैक्टर 49 गुडगावां हरि0

विषय : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ।

आदेश

दिनांक 27.6.12

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है०)
तिजारा, अलवर	थडा	302	0.97
		304	0.25
		214	1.21
		215	0.86
		216	0.48
		217	0.38
		218	0.35
		225	0.25
किता 8			4.75 Hect.

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, कम्पनी का रेजोल्यूशन एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह है कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने नगर विकास न्यास, भिवाडी तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी (सचिव नगर विकास न्यास भिवाडी) की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है, जिसके अनुसार मैंने आने वाली भूमि न्यास को निःशुल्क समर्पित करने का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया है।
- मैंने आवेदक के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास



योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आवेदित भूमि ग्राम थडा के खसरा नम्बर 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल किता 8 रकबा 4.75 है० में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय एवं आंशिक व्यावसायिक (मास्टर प्लान 2031 के अनुसार) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वासित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक अथवा आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ...27.6.17... को पारित किया गया।



प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास भिवाडी

दिनांक ...27.6.17...

क्रमांक : 563-65/17

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, नगर विकास न्यास भिवाडी
2. नायब तहसीलदार टपूकडा को उपरोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. मै० शिल्पकार हाउसिंग प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लेट सैक्टर-49 गुडगावां हरि० व श्री किशन लाल, निहाल, सुमेर पुत्रान श्री गणपत, सन्दीप कुमार, मनोज कुमार पुत्रान श्री बल्ला, व वेदप्रकाश, रमेश चन्द्र पुत्रान श्री प्रभाती लाल व अनिल कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रान श्री अमय सिंह, श्रीमती रामरती देवी बेवा श्री अमय सिंह, बाबूलाल, बिल्लूराम पुत्रान प्यारे लाल, व छोटे लाल पुत्र श्री फूसा, सज्जन सिंह पुत्र श्री कुडा राम, श्रीमती वजन्ति बेवा श्री बलवन्तसिंह, श्रीमती कमला पत्नि श्री प्रभाति लाल, व लालाराम पुत्र श्री अनुप सिंह, व श्रीमती विद्या देवी पत्नि श्री लाला राम, श्रीमती रामकला पत्नि श्री निहाल सिंह, व श्रीमती कमलेश पत्नि श्री सुमेर सिंह, श्रीमती इतवरी पत्नि श्री किशन लाल, व मामन पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति अहीर निवासी ग्राम थडा तह० तिजारा जिला अलवर (राज०) व श्री देवीदयाल पुत्र श्री हुकमचन्द जाति गुर्जर ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० तिजारा जिला अलवर (राज०) जरिये मु०आम मै० शिल्पकार हाउसिंग प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लेट सैक्टर 49 गुडगावां हरि०

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास भिवाडी